# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 2169/2013/पाली.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स धरती माता ग्रेनी मार्मो,
58–59, फेज–4, औद्योगिक क्षेत्र, पाली. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**
**श्री मनोहर पुरी, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

..... .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**दिनांक : 06/07/2015**

## निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 6/आरवेट/पाली/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.05.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02..2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 8,000/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से स्वीकार की जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

**लगातार.....2**

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, किन्तु पत्रावली पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस उपलब्ध है। अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस का अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. प्रत्यर्थी ने लिखित बहस के जरिये निवेदन किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में शास्ति आरोपण बाबत कोई विशिष्ठ नोटिस जारी नहीं किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि की लेखा—पुस्तकों एवं बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु एकमात्र नोटिस दिनांक 15.02.2012 के लिये जारी किया गया था, जो प्राप्त होते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष समस्त बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने लिखित बहस में राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009—10 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 23.02.2012 में बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु एकमात्र नोटिस दिनांक 25.01.2012 को सुनवाई दिनांक 15.02.2012 के लिये जारी किया गया है। उक्त

लगातार.....3

नोटिस में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि बिक्री विवरण प्रपत्र के अभाव में धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया जावेगा। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त नोटिस की पालना में दिनांक 23.02.2012 को आलौच्य अवधि के समस्त बिक्री विवरण प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं। साथ ही कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की गणना किस प्रकार की गई है। इस प्रकार बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एवं शास्ति आरोपण बाबत बिना विशिष्ठ नोटिस जारी किये धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 49 टैक्स वर्ल्ड 17 खत्री मंगाराम भूरचंद बाड़मेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी बाड़मेर** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

8. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अन्तर्गत धारा 58 अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

06/07/2015

**( मनोहर पुरी )**
**सदस्य**